

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक-शिविरा-माध्य/साप्र-11/डी-2/विधि/2022/ई-07421/437
समस्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी,
समग्र शिक्षा, राजस्थान।

दिनांक-यथा हस्ताक्षर
स्मरण पत्र 2/अत्यावश्यक

विषय :- माध्यमिक शिक्षा के अन्तर्गत शाला दर्पण पर समन्वय से रिक्त हुए विद्यालय भवनों से संबंधित सूचना अपडेट करने बाबत दिशा-निर्देश।

प्रसंग :- संयुक्त शासन सचिव, शिक्षा (ग्रुप-2) विभाग का पत्रांक प.24(1) शिक्षा-2/ cmis/2023 जयपुर दिनांक 17.12.24 इस कार्यालय का समसंख्यक पत्र दिनांक 30.09.2024 एवं 12.11.24

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है शासन के प्रासंगिक पत्र दिनांक 17.12.2024 के बिन्दु संख्या 17 द्वारा विद्यालयों के पास उपलब्ध (उपयोग में आ रही एवं उपयोग में नहीं आ रही) भूमि/भवन का विवरण उनकी Co-Ordinates स्थिति के साथ शाला दर्पण पर उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया है साथ ही शाला दर्पण पर त्रुटिपूर्ण सूचना प्रविष्टि करने पर संबंधित का उत्तरदायित्व निर्धारण करने हेतु निर्देशित किया है।

समन्वय से रिक्त हुए विद्यालय भवनों से संबंधित सूचना प्राप्त करने हेतु शाला दर्पण पोर्टल पर मॉड्यूल का निर्माण किया गया था इस संबंध में राईजिंग राजस्थान कार्यक्रम के दृष्टिकोण के मध्यनजर मॉड्यूल में कुछ अतिरिक्त कॉलम जोड़े गये थे, (यूजर मैनुअल संलग्न) जिसमें अलग-अलग स्तर पर सूचनाएं "वन टाईम" (केवल एक बार में भरी जाने वाली सूचना) अपडेट करवाने के क्रम में इस कार्यालय द्वारा समसंख्यक पत्र दिनांक 30.09.2024 एवं स्मरण पत्र दिनांक 12.11.2024 द्वारा आवश्यक कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था परन्तु खेद का विषय है आज दिनांक तक भी 313 विद्यालयों (सूची संलग्न) द्वारा सूचना भरी जानी बकाया है। अतः आपको पुनः निर्देशित किया जाता है कि बकाया विद्यालयों से सूचना 7 दिवस में भरवाया जाना सुनिश्चित करें साथ ही शाला दर्पण पर त्रुटिपूर्ण सूचना प्रविष्टि करने पर शासन से प्राप्त निर्देशों के अनुसरण में संबंधित का उत्तरदायित्व आवश्यक रूप से निर्धारित करें। इसके साथ ही जर्जर भवन, विद्यालय परिसर एवं खेल मैदान अतिक्रमण किराये के भवन की सूचना ही शाला दर्पण मॉड्यूल पर नवीनतम स्थिति अनुसार अपडेट करवाई जाये

1. संस्था प्रधान द्वारा किए जाने वाले कार्य :-

- यह मॉड्यूल सभी संस्था प्रधानों द्वारा भरा जाना है (समन्वय से रिक्त हुए भवन होने अथवा नहीं होने पर भी)।
- यह मॉड्यूल उन विद्यालयों के लिए खुला रहेगा जिन्होंने आज दिनांक सूचना नहीं भरी है (समन्वय से रिक्त हुए भवन होने अथवा नहीं होने पर भी)। विद्यालय रिकॉर्ड से मिलान कर इसे सात दिवस में आवश्यक रूप से भरा जावे। यदि आप द्वारा पूर्व में मॉड्यूल में अपडेट सूचना में जियो टेग (Latitue & Longitude) और कुल रिक्त भवन का कुल क्षेत्रफल की सूचना भरी जानी बकाया है या संशोधन किया जाना है तो शाला दर्पण हेल्प डेस्क को पत्र प्रेषित करते हुए मॉड्यूल को पुनः खुलवाकर सूचना भरी जानी आवश्यक रूप से सुनिश्चित करेंगे। साथ ही शाला दर्पण के अन्य मॉड्यूल की सूचना भी अपडेट करेंगे

2. मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, समग्र शिक्षा द्वारा किए जाने वाले कार्य :-

- मॉड्यूल में विद्यालयों द्वारा प्रविष्टि की जाने का पर्यवेक्षण गंभीरता से करेंगे तथा सभी अधीनस्थ विद्यालयों से प्रविष्टि करवाना सुनिश्चित करेंगे।
- सात दिवस पश्चात् मॉड्यूल में विद्यालय से प्रविष्टि बंद कर दी जाएगी, इस स्थिति में यदि आवश्यक हो तो वंचित विद्यालय की प्रविष्टि सीबीईओ लॉगिन से की जानी सुनिश्चित करेंगे।

3. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, समग्र शिक्षा द्वारा किए जाने वाले कार्य :-

- सभी मुख्य जिला शिक्षा अधिकारियों द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि उनके अधीन समस्त राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों द्वारा शाला दर्पण पोर्टल के मॉड्यूल पर सूचना अपडेट कर दी गई है।
- शाला दर्पण पर त्रुटिपूर्ण सूचना प्रविष्टि करने पर शासन से प्राप्त निर्देशों के अनुसरण में संबंधित का उत्तरदायित्व आवश्यक रूप से निर्धारित करेंगे।

4. संयुक्त निदेशक स्तर पर किए जाने वाले कार्य :-

- अपने अधीनस्थ समस्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारियों से सूचना अपडेट करवाने हेतु प्रभावी मॉनिटरिंग करेंगे।
संलग्न:-उपर्युक्तानुसार।

(जगबीर सिंह यादव)
संयुक्त निदेशक (प्रशासन)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. संयुक्त शासन सचिव, शिक्षा (ग्रुप-2) विभाग को प्रासंगिक पत्र दिनांक 17.12.2024 की पालना में सूचनार्थ प्रेषित।
2. समस्त संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, राजस्थान को प्रभावी मॉनिटरिंग हेतु प्रेषित।
3. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा,।
4. समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, समग्र शिक्षा।
5. उप निदेशक, शाला दर्पण जयपुर को मॉड्यूल को लाईव करने तथा विभिन्न लॉगिन्स पर रिपोर्ट उपलब्ध करवाने हेतु।
6. सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग, कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाइट पर सूचना अपडेट करवाने हेतु।
7. सहायक निदेशक, शाला दर्पण, कार्यालय हाजा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
8. समस्त प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, राजस्थान को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।



Signature Not Verified

Digitally signed by Jagbeer Singh
Yadav
Designation : Joint Director
Date: 2025.01.14 10:46:31 IST
Reason: Approved

शाला दर्पण पोर्टल पर समन्वय से रिक्त विद्यालय के संबंध में विद्यालय द्वारा भरी जाने वाली सूचना:—

विद्यालय → इन्फ्रास्ट्रक्चर → मर्ज विद्यालय इन्फ्रास्ट्रक्चर सूचना

The screenshot shows the PEEO School website dashboard. The top navigation bar includes links for HOME, डैशबोर्ड, विद्यालय, CAREER MELA, कार्मिक, विद्यार्थी, योजनायें, रिपोर्ट्स, RKSMBK App, डाउनलोड, परिणाम, हेल्प डेस्क, SHALASAMBLAN APP, and विविध. Below the navigation bar, there is a section for 'विद्यालय' (Schools) with a list of links: सामुदायिक सहभागिता, FUND MANAGEMENT, स्टार रेटिंग, ज्ञान संकल्प पोर्टल, इन्फ्रास्ट्रक्चर, इंटरनेट, आई.सी.टी., and more. A prominent blue link says 'Click to View Jan Aadhaar Authentication Figures'.

The screenshot shows a form titled 'विद्यालय को समन्वय (MERGE) कर संचालित' (Merge School Management). It contains two dropdown menus: 'क्या आपके अधीन संचालित किसी भी विद्यालय को समन्वय (Merge) कर आपके विद्यालय के अधीन संचालित किया जा रहा है?' (Yes/No) and 'यदि हाँ तो कितने विद्यालयों का समन्वय किया गया है?' (If yes, how many schools were merged?). Below this is a table with columns: क्रम संख्या, विद्यालय का नाम, परिसर का कुल क्षेत्रफल (वर्ग मीटर में), कुल निर्मित क्षेत्रफल (वर्ग मीटर में), कमरों की संख्या, क्या उस विद्यालय के भवन/परिसर का वर्तमान में कोई भी उपयोग हो रहा है?, विद्यालय के भवन की स्थिति, क्या उपयोग किया जा रहा है?, उक्त उपयोग किसके आदेश से हो रहा है, LATITUDE, LONGITUDE, and an 'Update' button. A dropdown menu is open over the 'विद्यालय के भवन की स्थिति' column, showing options: '-S', 'स्थानीय विद्यालय', '-Select --', 'कक्षाएं', 'उपयोग लेने योग्य', and 'जर्जर स्थिति'.

क्रम संख्या	विद्यालय का नाम -	परिसर का कुल क्षेत्रफल (वर्ग मीटर में)	कुल निर्मित क्षेत्रफल (वर्ग मीटर में)	कमरों की संख्या	क्या उस विद्यालय के भवन/परिसर का वर्तमान में कोई भी उपयोग हो रहा है -	विद्यालय के भवन की स्थिति	क्या उपयोग किया जा रहा है ?	उक्त उपयोग किसके आदेश से हो रहा है	LATITUDE	LONGITUDE	
	GUPS no 2 Nohar	2416.7		9	हाँ	-S	स्थानीय विद्यालय	शिक्षा विभाग के आदेश से	XX.XX	XX.XXXX	Update Cancel

Infrastructure Building Merg Monitoring Report

क्रमांक	जिला	कुल विद्यालय	भरे हुए विद्यालय	नहीं भरे हुए विद्यालय
1	AJMER	686	680	6
2	ALWAR	1027	1016	11
3	BANSWARA	544	531	13
4	BARAN	347	327	20
5	BARMER	1177	1138	39
6	BHARATPUR	699	696	3
7	BHILWARA	711	701	10
8	BIKANER	720	720	0
9	BUNDI	307	307	0
10	CHITTAURGARH	477	475	2
11	CHURU	667	650	17
12	DAUSA	482	466	16
13	DHAULPUR	347	344	3
14	DUNGARPUR	492	490	2
15	GANGANAGAR	579	559	20
16	HANUMANGARH	500	474	26
17	JAIPUR	1219	1193	26
18	JAISALMER	317	304	13
19	JALOR	544	544	0
20	JHALAWAR	351	351	0
21	JHUNJHUNUN	618	618	0
22	JODHPUR	1041	1029	12
23	KARALI	414	401	13
24	KOTA	340	337	3
25	NAGOUR	1005	1005	0
26	PALI	613	578	35
27	PRATAPGARH	294	293	1
28	RAJSAMAND	444	444	0
29	S.MADHOPUR	359	353	6
30	SIKAR	806	806	0
31	SIROHI	291	291	0
32	TONK	395	379	16
33	UDAIPUR	928	928	0
	Total	19741	19428	313